रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-105/2022/1275/22-2-2022-17(851)/2019

लखनऊ: दिनांक: 14 जुलाई, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी विमलेश (बन्दी संख्या-1058/2017) पत्नी श्री सुखपाल, जो-ग्राम सबली, थाना-हापुड़ नगर, जनपद-हापुड़ की रहने वाली है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-1654/2013 भा0द0सं0 की धारा-498ए, 323/34, 304बी व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़ के आदेश दिनांक 20.12.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, महिला बंदी द्वारा दिनांक 29.05.2021 तक 08 वर्ष 11 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष 06 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगे जाने, आयु 69 वर्ष से अधिक होने एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ द्वारा रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किए जाने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-105/2022/1275(1)/22-2-2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़।
3- पुलिस अधीक्षक हापुड़।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in